

अज्ज कमोटी 896/4 कलम

अपर्सारादे नांव आ॒सा॑ कोटि का॑

G.P.R. (J) Ya 18-17,500 (175 bks.)-2361

नवकलेश्वा अर्ज आला तो दिनांक

नवकल सथार दि. 1/6/21

नवकल दिली तो दि. 21/6/21

CERTIFICATE OF REGISTRATION

P.T. Reg. No. 13/66

No. 10247



F - 238 Jalem

(Anum
21/6/2021)

P. T. R. Office Aurangabad Region
Aurangabad,

प्राविनिक नवकल नंदयाली कार्यालय

जालना विधान, जालना

Name of P. T. Shri Gyare Ganesh

Sthanakwasi Jain Smarak
Sannili at Patan To Parbhani

Reg. No. F - 46 (Parbhani)

Copy Prepared by -

Copy Read by -

Copy Verified by -

To whom issued Shri Phulkheraj

ghamandisam R/o Sader
Bayar Jalem, F. Jalem

Date 23-4-1966. Dist: Aurangabad

U. M.

मान्यता प्राप्त आवधि के अंत तक वापस भेजने के लिए।
दस्तावेज चारों ओर बहुमत के साथ दिये गये हैं।

७८ Asset Register Authority for
A. G. D. B. R. 1/6/21

१५

प्रज्ञानमाला	३९६/८	संख्या	१०८/८
अर्जदारावेनांव ठीक होने का	मैट्रिकल ऑफ अपोसिएशन		
नवकलेच्या अर्ज आला तो दिनांक			
नवकल तयार दि.	१०/८/८		
नवकल दिली तो दि.	२१/८/८		

(१) संस्थाका नाम :- श्री गुरुगणेशा स्थानक्वासी जैन स्मारक समिति, परतूर

परतूर त्रिका - परमणी (महाराष्ट्र)

प्र. अधिकारी

(२) संस्थाका पूरा पता :- श्री गुरुगणेशा स्थानक्वासी जैन स्मारक समिति,

जैनगणेश नॉड्यू कार्यालय
जालना विभाग जालना

क) अर्द्धती मंस्कृति एवं सम्यता का संरहाणा, संचरण, प्रचार-प्रचार अन्वय

ख) जैनगणेश की मूलभाषा प्राकृत, अर्द्ध माण्डी एवं संस्कृत विभाग

राष्ट्रीय माण्डी का स्वांगीण विकास करना।

ग) पूज्य माधु माध्वीकृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर स्थानापूर्ति
स्थानापूर्ति करना।

घ) पुस्तकालय, वृक्षालय, पाठशाळा, छात्रालय, अनाथालय
समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना।

इ) मर्हिलांडा के जीवन विकास हेतु शाविकाशम का निर्माण करना।

ज) स्मारक के उत्थानके लिए स्तप्तवृत्तियाँ एवं ग्रामोद्योगीका स्तप्तवृत्तियाँ करना।

झ) जैन यथात्मक हैन्दू एवं इस्लामी विशिष्ट ठाकृतियाँ प्रकाशन कर संस्कृत
एवं प्राकृत के प्रैष्ठ विभान तैयार करना।

क) स्थान-स्थान पर ज्ञानिक शिवाहाणा की व्यवस्था करना।

ख) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वास्थ्याय प्रदर्शन चालू करना।

छ) अर्हिंसा के प्रशार-प्रशार का समुचित प्रबंध करना।

ज) जैनगण-जैन-दर्शन के भल्ल्य ग्रन्थांका संपादन, प्रकाशन करना।

झ) धार्मिक, आध्यात्मिक पर्चिका का प्रकाशन करना।

इ) संस्थाके सदृपदेश्वर तपस्वी मुनि श्री मिश्री लाल्हा संस्कार करना।

ये अस्य प्रतीत हो। ऐसे समाजोपयोगी प्रवृत्तियोंका समर्पण।

" संस्थाकी - अबल समर्पित संपत्ति की व्यवस्था संस्थाके लियम
निर्णयानुसार करना, निम्नलिखित सदस्योंकी जिम्मेवारी होगी । "



	नाम	ठेकसाय	पता
(१)	श्री जैठ गुलाबचंद ववनमल सुराणा ३१६२१२७	व्यापार	२५ डिसामगज, बुलाराम (हैदराबाद) ।
(२)	श्री उद्दीराज हरकचंजी ३५६४६४७	व्यापार सेती	मु.पैस्ट - बीबी०तहसील महकर (जिला-बुलडाना) ।
(३)	श्री भिलुलाल औदमल वात्तिया २८५२५	व्यापार	परभनी (मराव्हाडा) ।
(४)	श्री पन्नालाल घनराज जैन	व्यापार	जालना (जिला औरंगाबाद)
(५)	श्री कल्याणमल अमेत्कचंद जैन ४१३११६८१	व्यापार	परतूर, ज़िले-परभणी ।
(६)	श्री बंसीलाल फूलचंद जैन सहमदगा	व्यापार	परतूर, ज़िले-परभणी ।
(७)	श्री पुकराज घनमंद संवेती ७८५२३८	व्यापार	लोणार, ज़िले-बुलडाना ।
(८)	श्री सुगन्धंद घनराज जैन	व्यापार सेती	मु.पै.नेर, ज़िला - यवतमाळ ।
	श्री पुकराज घमंडीराम जैन मला	व्यापार	जालना, ज़िला-औरंगाबाद
	श्री धेवरचंद्रजी सालला	व्यापार	रक्किर पेठ, नासिक (ज़िला नासिक) ।
	श्री फूकीरचंद इंकरलाल	व्यापार	जामनेर, ज़िला - जलगांव
	श्री विरटीचंद लालचंद गेलडा	व्यापार	बोदवड, ज़िला - जलगांव
	श्री धीरचंद छालेड	व्यापार सेती	चांदूर रेल्वे, ज़िला - अमरावाती ।
	श्री मानचंद लादराम	व्यापार	कामारडी (हैदराबाद) ।
(९)	श्री जम्बूकमार रेखचंदजी संवेती	व्यापार	बुलडाना ।

--((पृष्ठ २))--

(6)

" हम निम्नलिखित हस्ताक्षरकर्ता श्री गुरुगणेश स्थानक्वासी जैन स्मारक
समिति को मैमीरणद्वय औफ असोसिएशन के अनुसार रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं । "



क्रम	नाम	पद	हस्ताक्षर
(१)	श्री गुरुगणेश स्थानक्वासी जैन स्मारक समिति को मैमीरणद्वय औफ असोसिएशन के अनुसार रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं ।	अध्यक्ष	गुरुगणेश (गुरुगणेश)
(२)	की छोड़ाल हरखंद रेडासाही	उपाध्यक्ष	द्विदास हरखंद (द्विदास)
(३)	की दुर्वाल घंडीराम	सचिव	पुरवराज (पुरवराज)
(४)	श्री बन्सीलाल फूलखंद जैन	असिस्टेंट सचिव	बन्सीलाल फूलखंद (बन्सीलाल)
(५)	श्री कर्णाचामल अमोलखंद जैन	कोषाध्यक्ष	कर्णाचामल अमोलखंद (कर्णाचामल अमोलखंद)
(६)	श्री शिल्लार्ही उमेश्ली बांठिया	सदस्य	शिल्लार्ही उमेश्ली (शिल्लार्ही उमेश्ली)
(७)	श्री पुरवराज भागवद्धी संदेती	सदस्य	पुरवराज भागवद्धी संदेती (पुरवराज भागवद्धी संदेती)

दिनांक *21/6/1966*

स्थान --



स्थानी -- (१) श्री

ABHUVY
21/6/1966
आधिकारक

तार्वजनिक न्यास नैन्यामी कार्यालय (१) श्री *Keshavchand Bhenechand Bhenechand*.

जालना विभाग, जालना

स्थान परतूर (जिला - परमनी)

हस्ताक्षर

दिनांक - 21/6/66

स्थान परतूर (जिला - परमनी)

हस्ताक्षर Date -

Copy Prepared by

दिनांक - 21-6-66.

Copy Read by

दिनांक - 21-6-66.

Copy Verified by

दिनांक - 21-6-66.

Time

Copy Verified by

दिनांक - 21-6-66.

(92)



श्री गुरु गणेश स्थानकवासी जैन सारक संस्थात, परता

क
नियमों पर नियम

जैन
श्री गुह गणेश स्थानकवासी स्मारक समिति, परतूर (जिला) परम्परा



प्रमाणिक 396/2
दारावेनं नंव १०६५ के दिनांक
कलेच्या अर्ज आगा तो दिनांक
कल लयार दि. २१/६/२०१६
कल दिली तो दि. २१/६/२०१६

(स्थानकवासी जैन समाजके प्रब्रह्म तपोस्वी उग्र विहारी श्री गणेशालाल जी महाराज के सचित्र तपोनिष्ठ पं. मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज के सदुपदेश से दिनांक २१ फरवरी, १९६५ के राज संस्थापित.)

(६)

संस्था के नियमोपनियम
क

सार्वजनिक न्याय नैदणी कार्यालय
आलना प्रियमा. जातीय :-

इस संस्था का नाम, श्री गुह गणेश स्थानकवासी जैन स्मारक समिति रहेग।
२. कार्यालय :- संस्था का कार्यालय वर्तमानमें परतूर नगर जिला परम्परा में रहेगा, किन्तु महत्वी समा के दो तिहाई सदस्यों की सम्मति से उचित स्थल पर -
परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

३. बाजार :- इस संस्था का बाजार प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक वद्य १० तक साना जायगा।

४. उद्देश्य :-
- (क) आहंति संस्कृति एवं सम्यताका चरक्षण, संवर्द्धन, पुचार-प्रसार क.
 - (ख) जैनाभ्योगी की मूलभाषा प्राकृत, अच्छे भाषाधी प्रवं संस्कृत तथा -
राष्ट्रभाषा हिन्दी का सर्वांगीण विकास करना।
 - (ग) पञ्ज साधु साध्वी वृन्द के अध्ययनार्थ उचित स्थल पर सिद्धांत -
शालाएँ स्थापित करना।
 - (घ) पुस्तकालय, वाचनालय, पाठशाला, शान्ति, अनाधारण आदि
समाजोपयोगी संस्थाएँ स्थापित करना।
 - (ङ) महिलाओं के जीवन विकास हेतु भाविका-धर्म का निर्माण करना।
 - (च) समाज के उत्थान के लिए सत्प्रवृत्तियाँ एवं ग्रामोद्योगों का संचाल
करना।
 - (छ) जैन समाज के होनहार छात्रों को विशिष्ट छाचृत्याँ
संस्कृत एवं प्राकृत के प्रौढ विद्यान विवार करना।
 - जेनेत्र धर्म प्रेरणी तथा संस्कारी होनहार
निर्णय इस समिति के सूच्यार दिलाई
 - १००६ श्री मिश्रीलाल जी महा
परम्परामें ज्ञानेवाके संतो

(६)

- (ज) स्थान स्थान पर धार्मिक शिक्षण की व्यवस्था करना।
 (झ) आध्यात्मिक विकास हेतु स्वाध्याय मण्डल बाल् करना।
 (छ) अहिंसा के प्रचार-प्रसार का समुचित प्रबंध करना।
 (ट) जैनागम जैन दर्शन के अलग्य ग्रंथों का संपादन, प्रकाशन करना।
 (ठ) धार्मिक आध्यात्मिक पत्रिका का प्रकाशन करना।
 (ठ) संस्थाके सदुपदेष्टा तपस्ची मुनि श्री मिश्रीलाल जी महाराज को योग्य प्रतीत हो, ऐसे समाजोपर्यागी प्रवृत्तियों का संबालन करना।
 (ड) प्रकाशन कार्य के लिए पेस आदि की स्थापना करना और प्रोत्साहन दे कर रक्षात्मक साहित्य का निर्माण करना।

५. कार्यक्रोत्र :- संस्थाके उद्देश्योंकी पूर्ति के लिए जिन स्थलों पर सत्पृत्तियों का संबाल किया जायगा, वे स्थल संस्थाके कार्य-होत्र के अन्तर्गत माने जायेगे।

६. संस्था के सदस्यों का निम्न लिखित श्रेणियाँ होंगी :-

(अ) ऐल आधारस्तम्भ सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त रु ५००/-०० (रुपये - ५०० रुपये और इसके अंदर) पाँच हजार एक) दन वालोंका होगा।

(आ) आधारस्तम्भ सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त रु १००/-०० (रुपये - एक हजार एक) या इससे अधिक देने वालोंका समावेश होगा।

(इ) संरक्षक सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त या दो किलों रु ५५१/-०० (रुपये पाँच सौ एक) या इससे एकावन मात्र) देने वालों का समावेश होगा।

(ई) आजीवन सदस्य श्रेणी : इसमें एक मुश्त या दो किलों रु १०१/-०० (रुपये प्रतिवर्ष रु १०१/-०० (रुपये प्रदान कर जो सज्जन रु ५०१/-०० की जो सज्जन रु ५०१/-०० की

आश्रयदाता सदस्य श्रेणी: इसमें एक मुश्त २५१-०० रूपये दो सौ पंच
या इससे अधिक धन देने वालों का समावेश होगा।

(ज) वाचिक सदस्य श्रेणी: रु ११-०० (रूपये रुपारह मात्र) पुति वर्षा
देने वालों का इसमें समावेश होगा।

(ए) मानद सदस्य : संस्थाको बौद्धिक अथवा अन्य प्रकार की
सहायता देने वाले महानुभाव कार्यकारिणी
की सम्मति से इस श्रेणी के सदस्य बनाये जा सकते हैं।

७ संस्थाके कार्य अंग : संस्था का कार्य सुचियावस्थित कराने के लिए महती सभा, कार्यकारिणी
सभा और विश्वस्त-मण्डल ये तीन अंग होंगे।

८ महती सभा : (१) नियमोपनियम काँड़का ६ के अन्तर्गत जो महानुभाव सदस्य बनें,
उन सभी का समावेश महती-सभा के सदस्य के रूप में होगा।

(२) महती सभा के निम्न लिखित कार्य होंगे :-

(अ) कार्यकारिणी-सभा, विश्वस्त-मण्डल और अन्या अन्य पदा-
विकारियों का निवाचन करना।

(आ) नियमोपनियम स्वीकृत करना।

(इ) संस्था की सम्पर्ण सत्ता इस सभा के अधीन होगी।

(ई) किन्तु विशेष स्थिति में मरी या करेंगी।

एक त्रितियांश सदस्य की सम्मति से अश्व विशेषा-बैठक बुलाई जा सकती है। ऐसी बैठक बुलाने के लिए बैठक-संचना पत्र में
स्पष्ट करना होगा।

(उ) महती सभा की वाचिक बैठक की संचना, पूर्व में १५ दिन
पहले दी जायगी।

(ऊ) महती सभा की बैठक के लिए कम-से-कम रुपारह सदस्यों की
मण्ड-पूर्ति आवश्यक होगी,

(ए) मण्ड-पूर्ति के अभाव में बैठक आध घट्टे तक स्थगित रखी जाया
तथा आध घट्टे के बाद कथित बैठक उसी स्थान पर ले ली जायगी,
तब बैठक के लिए मण्ड-पूर्ति आवश्यक न होगी। लेकिन ऐसी बैठक में
जारी किये गये बैठक-संचनाके अलावा विषयों पर चर्चा न होगी।

(ऐ) सभा कार्य है तो सर्व-सम्मति से किया जायगा अन्यथा
सदस्यों के बहुमत रहेगा। बराबर मत पड़ने पर अद्यता को एवं

(क) महती सभा की वार्षिक बैठक के निश्चित स्वरूप प्रज्ञय गुहा की पुण्य-तिथि माघ व ३० के अवसर बुलवाई जायगी, ताकि उपस्थितियों को सदुपदेष्टा, प्रबल तपस्वी दक्षिण केशरी मुनि धी १००८ श्री मिश्री लाल जी महाराज सा. के मार्गदर्शन का अलम्भ लाभ प्राप्त हो कर उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

१ कार्यकारिणी सभा : अधिकार और कर्तव्य :

- (१) महती सभा द्वारा निवार्चित ११ सदस्यों की यह सभा होगी।
- (२) इस सभा की बैठक मंत्रीजी द्वारा सुचित स्थान पर प्रतिवार्ष महती-सभा की बैठक के एक दिन पूर्व या आवश्यकतानुसार बीच-बीच में भी बुलवाई जा सकती है।
- (३) कार्यकारिणी सभा की बैठक के लिए ५ सदस्यों की योग-पूर्ति होनी चाहिए। किन्तु नियत समय तक योग-पूर्ति न हो सकी तब १ घण्टे तक बैठक स्थगित रखी जायगी और उसके बाद उसी स्थान पर उपस्थित सदस्यों द्वारा बैठक की कार्रवाई पूरी होगी। किन्तु बैठक-संबन्ध पत्र में दिये गये विषयों के अलावा किसी अन्य क्षेत्र पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
- (४) महती सभा के आदेशानुसार संस्था की समस्त प्रदृशियों का संबोधन करना कार्यकारिणी सभा का उत्तरदायित्व होगा।
- (५) अक्समात् किसी सदस्य का स्थान-रिक्त हो जाने पर आगामी महती सभा की बैठक तक अध्यक्ष महोदय उस स्थान के लिए किसी सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं।
- (६) किसी भारणवश किसी वज्र महती सभा की वार्षिक बैठक न हो सके तब की स्थिति में वर्तमान कार्यकारिणी आगामी नहती सभा की बैठक होने तक पूर्ववत् कार्य चलायेगी, और जब महती सभा की बैठक होगी उस समय आगामी सभा की नियुक्ति की जायगी।
- (७) कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। महती सभा में प्रत्यक्ष विवार पद्धति से किया जायगा।
- (८) संस्था के वैतनिक कार्यकार्त्तों की नियुक्तियाँ करना, इसका लौटा वेतनवृद्धि करना, आंडिटर की नियुक्ति करना और उसका लौटा करना, ये कार्य कार्यकारिणी के कक्षा में होंगे।
- (९) संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियमोंपरियम तयार करना तथा इसका लिए महती सभा के समक्ष प्रस्तुत करना कार्यकारिणी का मिक्त तथा



(११) कार्यकारिणी सभा के प्राकृतिकरी महती सभा के भी पदाधिकारी होंगे।

१० विश्वस्त मण्डल : अधिकार और कर्तव्य :

(१) संस्था की स्थावर जांग सम्पति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के लिए त्रृतीय सभाद्वारा उन्ने ये सात स्थानक्षासी जैन सभाज के सदस्यों का एक विश्वस्त-मण्डल होगा।

(२) संस्था की पार्ण सम्पति का प्रबंध करना अर्थात् धुवफाटड किसी निश्चित प्रसिद्ध बैंक या पौँडी पर रखना और आवश्यकतानुसार कानून के कार्रवाई वर्गेरा करना इसी विश्वस्त-मण्डल का कार्य होगा।

(३) संस्था की ओर से कानून की कार्रवाई करने के लिए अध्यक्ष भूतेय का नियुक्त सज्जन होगा।

(४) अचान्क किसी दूसरी का स्थान रिक्त हो जाने पर आगामी त्रृतीय सभा की बैठक तक यह मण्डल किसी सत्त्वन की नियुक्ति दूसरे हूप में कर सकेगा।

(५) विश्वस्त मण्डल को अपने अध्यक्ष और मन्त्री बुनने का अधिकार है।

(६) कार्यकारिणी सभा की बैठक के अवसर यह विश्वस्त मण्डल अपना कार्य विवरण पेश करेगा, ताकि उस आधार पर कार्यकारिणी सभा बजट तयार कर सके।

(७) संस्था के स्थाई रक्कम वे से व्यय करने का अधिकार विश्वस्त या कार्यकारिणी को नहीं होगा।

(८) वास्तविक सर्व से अधिक रक्कम उत्पन्न हो जाने पर भी किसी दूसरी संस्था के लिए उस रक्कम के व्यय करने का अधिकार विश्वस्त-मण्डल या कार्यकारिणी को नहीं होगा। किन्तु कार्य-क्षेत्र को और अधिक विकास बनाने की योजना तयार की जायगी।

११ संस्था के पदाधिकारी : संस्था में मुख्यतया अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मन्त्री, सहमन्त्री, व्यवस्थापक और कोषाध्यक्ष रहेंगे।

१२ अध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य :

(१) संस्थाका कार्य सुवार्ष और जागरूक से बढ़ाना, संस्था की सम्पूर्ण कार्रवाई एवं गतिविधियों पर ध्यान रखना, अध्यक्ष भूतेय का प्रधान कर्तव्य होगा।

(२) अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे प्रस्तावको जो निकारक एवं संस्था के उद्देश्य के प्रतिक्रिया हो तो बैठकें

पृष्ठ ६

(५)

का कार्य करे, तो अध्यक्ष को अधिकार होगा कि उसे ऐसा करने से रोकें, या उस दिन की बैठक से उसे पृथक् कर दें।

(६) संस्था सम्बद्ध वाक्यक कार्रवाई करने एवं करने का भी उन्हें अधिकार होगा। वाक्यकता पढ़ने पर वे संस्था के कायों से सम्बद्ध कागज-पत्रों पर हस्ताक्षर भी करेंगे।

(७) कार्यविधाय पर समाचार छने - - , पर महता सभा का बैठक को एक पूर्ण भत देने का अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष के अधिकार और कर्तव्य :

(१) अध्यक्ष की जनुपस्थिति में संस्था के समस्त

कायों की देख-खेद करना और अध्यक्ष को प्राप्त सारे अधिकारों का उपयोग

करना तथा कार्यविधाय पूर्ति करना।

१४ मंत्री के अधिकार एवं कर्तव्य :

(१) संस्था की ओर से पत्र-व्यवहार करना।

(२) अध्यक्ष कहोदय की समस्ति से आयोगारिणी

बैठकों बुलाने का प्रबंध करना।

(३) महती ओर कायोगारिणी सभा में, एवं सभा की बैठकों में पारित प्रस्त

(४) महती सभा ओर कायोगारिणी समस्त प्रतिविधों का सम्मग लपेण संचालन करना एवं
कार्यविधाय पत्रों का संवादांशों द्वारा संस्था का सर्वाधिकार किसास करना, मंत्री का
कार्य होगा।

१५ सहमन्त्री के अधिकार और कर्तव्य :

(१) मन्त्री कहोदय के कायों में सहायता पहुँचाना।

(२) मन्त्री कहोदय की जनुपस्थिति में मंत्री कहोदय को प्रदत अधिकारों
एवं कर्तव्यों का पालन करना, सहमन्त्री का कर्तव्य होगा।

१६ ट्यूक्स्थापक के अधिकार एवं कर्तव्य :

(१) संस्थाके संचालन में जनुमत रखनेवाले, प्रतिष्ठा प्राप्त व्यावत इस
पद के विरोध लपेण अधिकारी होंगे।

(२) कायोगारिणी सम्बद्ध उत्तरदाता पत्र का सम्मग
ट्यूक्स्थापक का प्रधान-कर्तव्य होता

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य : (३)

- (१) संस्था का आय-व्यय व्यवस्थित रखना।
- (२) महती समा और कार्यकारिणी एवं विश्वस्त मण्डल की समिति से कोष की समुचित व्यवस्था करना।
- (३) कार्यकारिणी द्वारा नियुक्त बाड़ियर भरोदय से संस्था का आय-व्यय परीक्षित करवा कर प्रतिवर्ष कार्यकारिणी के समक्ष रखें जिससे कार्यकारिणी उसे महती समा के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगी।



१८ वित :

- (१) बैंक का व्यक्तार नियन्त्रित पदाधिकारियों में से किसी दो के हस्ताक्षरों से होगा।
- (अ) अध्यक्ष (आ) मन्त्री (इ) कोषाध्यक्ष।

(अ)

१९ धुव फड़ :

मूल आधार स्तम्भ और आधारस्तम्भ सदस्यता श्रेणीयों से प्राप्त होनेवाली सदस्यता की रकमें धुव फड़ के अन्तर्गत भानी जायेगी।

२० सदस्यता रद्द :

किश्तों से रकम देने वाले सञ्जनों की ओर से अगर लगातार दो साल तक किश्त की रकम नहीं आई, तब उनका नाम सदस्यता श्रेणी से हटा दिया जायगा और प्राप्त रकम केवल दान सातमें पूकाशित कर दी जायगी।

२१ नियमोपनियम संशोधन: इस संविधान के नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन करने का अधिकार महती समा को होगा, महती समा अपनी बैंक बुलवा कर उसे प्रदत्त अधिकारों के बीच तेज करेगी।

२२

इस संविधान की मान्यता अनुसार प्रत्येक तपस्वी, चारित चृ
उग्र विहारी, दक्षिण केशरी, जैन-धर्मी दीपक, प्रांडित-रत्न श्री
श्री १००६ श्री मिश्रीलालजी महाराज सा. ने समाज को जागृत कर
जो ~~उपर्युक्त~~ ^{किसी भी} ~~उपर्युक्त~~ समाज विस्मृत नहीं कर सकेगा। अतः
अश्रु कार्यकारिणी समा, महती समा, विश्वस्त मण्डल एवं -
इस समिति की पदाधिकारी महाराज श्री की सूचनाएँ सदैव मान
करेंगे। सांवेदन ने यह भी निर्णय किया है कि इनके बाद इन्हें
परम्परामें इनके स्थान
में इस समिति को ।

पुनर्पत्रांक लिये करने का अधिकार: धुत पत्र में एकत्र रखने को लिये करने का
अधिकार कायमारिणी को होगा। इसके लिए
उसे प्राप्त बैठके अधिकारों का उपयोग कायमारिणी
करे।



① *A. Mawm*
२१/६/२०११
अधिकारी
सार्वजनिक चुन संसदी कायलिङ
आलना विभाग, जालना

21/6/2011
Copy Prepared by -
Copy Read by -
Copy Verified by -